प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चन्दौली।

सेवा में,

समस्त कार्यालयध्यक्ष,
चन्दौली।

पत्रांक : मू0चि0अ0/जिला तम्बाकू नि0 प्रकोष्ठ/कोरोना वायरस /2020-21/ ५८६ दिनांक 05/06/2020

विषय: प्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के बचाव हेतु समस्त सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में पान-मसाला एवं तम्बाकू उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश -786 /तीन-18-6(9)18 दिनांक 12 अक्टूबर 2019 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया जा चूका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपयोग को पूर्णतया प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए जा चुके है ।

विश्व स्वाथ्य संगठन द्वारा **कोरोना वायरस (कोविड-19)**को महामारी घोषित किया जा चूका है तथा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा इसे विश्वा व्यापी महामारी को गंभीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी करते हुए हेल्पलाइन नंबर **18001805145** भी जारी किये गये है।

चुकि प्रदेश में लगभग 29.4% लोग धूमपान रहित तम्बाकू का किसी न किसी रूप से सेवन करते है जो की वर्तमान में तम्बाकू एवं पान मसाला का सेवन कर इधर उधर थूकने से कोरोना वायरस को फैलाने में सहायक हो सकता है एवं प्रधानमंत्री द्वारा बहुउदेशीय स्वच्छ भारत मिशन व अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु भी पान मसाला का सेवन बड़ी बाधा है।

उक्त के अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्राशासन, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या -एफ0एस0डी0/खाद्य/1122, दिनांक 25.03.2020, तम्बाकू पीने वाले व्यक्ति शीशा ,निकोटिन या औषधि , सब्जी और फल के रस , किण्वित सब्जी ,किण्वित फल को तम्बाकू के साथ या बिना तम्बाकू के किसी अन्य पदार्थ के साथ हुक्का पीने वाले अथवा जो व्यक्ति धुम्रपान नही करते है, दोनों लोगो को स्वाथ्य के लिए हानिकारक है।

अवगत करना है कई हुक्का से निकला धुँआ जहरीला होता है , इसमें खतरनाक कैंसरकारी तत्व होते है और इससे कैंसर,असाध्य रोग, जन्म के समय कम वजन और अन्य बीमारिया होती है।

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 269 में निर्धारित किया गया है -जो व्यक्ति अवैध तरीके से या शासन के आदेशो की उपेक्षापूर्वक कोई भी ऐसा कार्य करता है, जिससे उसके अथवा जिसे वह जनता अथवा पहचानता हो , उसके जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो, उसे 6 माह के लिए कारावास की सजा हो सकती है या अर्थ-दंड लगया जा सकता है अथवा दोनों सजा हो सकती है।

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 270 में निर्धारित किया गया है कि, जो व्यक्ति अवैध तरीके से कोई भी ऐसा कार्य करता है, जिससे, और जिसे वह जानता है, के जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी का सक्रमण फैलाने की संभावना हो, उसे दो वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकती है या अर्थदंड लगाया जा सकता है अथवा दोनों सजा हो सकती है।

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 278 में निर्धारित किया गया है कि जो कोई भी किसी भी स्थान पर वातावरण को स्वेच्छा से दुषित करता है जो सामान्य आवास में व्यक्तियों के स्वाथ्य के लिए हानिकारक है या पड़ोस में इसे फैलाता है या सार्वजनिक स्थान पर इसे फैलाता है, उसे **500 रुपये** का अर्थदंड की सजा हो सकती है।

आपको अवगत कराना है की जन-स्वास्थ्य के हित में **कोरोना वायरस (कोविड-19)** को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे कैफे ,बार ,लाउंज,रेस्तरां,आदि में हर तरह के हुक्का पेश करने और पीने के कृत्य को प्रतिबंधित करना जरुरी है , अतः इस प्रकार स्वस्थ भारत अभियान में योगदान मिलेगा।

अत: **कोरोना वायरस (कोविड-19)** को ध्यान में रखते आप सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान,पान मसाला खा कर इधर उधर थूकने तथा खुली सिगरेट की बिक्री एवं हुक्का के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना सुनिश्चित करे। साथ ही साथ उक्त कृत्य करते हुए पकडे जाने पर कोटपा -2003 के नियमो /अधिनियमों अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

5/6/2020
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चन्दौली

पत्रांक : मू0चि0अ0/जिला तम्बाकू नि0 प्रकोष्ठ/2020-21 | ५८६ तददिनक

प्रतिलिपि: निमंलिखित को सुचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. महानिदेशक ,चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवाये उत्तरप्रदेश लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्राकोष्ट उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी महोदय चन्दौली।
4. पुलिस अधिक्षक चन्दौली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की आप अपने अधीनस्थ पुलिस बल को उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करे।

5/6/2020
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चन्दौली